

सं.सं0-7/जिला चिकित्सा पदा0-19-01/2017 94 (7) B
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
लखीसराय।

पटना, दिनांक : 18-10-17

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹5,58,958/- (पाँच लाख अठावन हजार नौ सौ अठावन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश संख्या- 07 (7)ब दिनांक- 15.05.17, 29(7)ब दिनांक-23.06.17, 46(7)ब दिनांक-17.08.17, 48(7)ब दिनांक-24.08.17 63(7)ब दिनांक- 20.09.17, 69(7)ब दिनांक-22.09.17, एवं 78(7)ब दिनांक-25.09.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹5,58,958/- (पाँच लाख अठावन हजार नौ सौ अठावन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।


4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,)



(सच्चिदानंद चौधरी) 18/10/17

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : ७५ (७) ८

पटना, दिनांक : 18-10-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव 18/10/17



विपत्र कोड-20-2210010010002

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति अवमाननावाद सख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लखीमपुथ	20000	260000	190000	8958	80000	558958	डा० धर्मदेव सिंह

(पाँच लाख अठावन हजार नौ सौ अठावन रु०)

18/10/17
सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित	वर्तमान आवंटित	कुल आवंटित	अवशेष राशि
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	150000000	149070000	20000	149090000	910000
2	जीवन यापन मत्ता (0002-01-03)	200000000	197165500	260000	197425500	2574500
3	मकान किराया मत्ता (0002-01-04)	37237000	36066700	190000	36256700	980300
4	परिवहन मत्ता (0002-01-05)	1028000	713070	0	713070	314930
5	चिकित्सा मत्ता (0002-01-06)	2052000	1951442	8958	1960400	91600
6	अन्य मत्ता (0002-01-07)	9183000	9066000	80000	9146000	37000
7	त्थौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	400000000	394032712	558958	394591670	5408330
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	500000	439307	0	439307	60693
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	650000	646000	0	646000	4000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	3000000	2515000	0	2515000	485000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	2850000	0	2850000	150000
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	6170000	0	6170000	380000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	2000000	0	2000000	0
15	वर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	300000	241500	0	241500	58500
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	828000	0	828000	282000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2521000	0	0	0	2521000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	1500000	1420000	0	1420000	80000
19	दवा मंजूर (0002-21-02)	2400000	2300000	0	2300000	100000
20	अनुक्षण एवं मरमत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवाएँ (0002-28-02)	1000000	946000	0	946000	54000
22	मशीने एवं उपकरण (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	424833000	414688519	558958	415247477	9585523

94 (7) व
18-10-17

18/10/17
सरकार के विशेष सचिव